

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 347]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 30 1976/श्रावण 8, 1898

No. 347]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 30, 1976/SRAVANA 8, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

ORDER

New Delhi, the 30th July 1976

S.O. 510(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 4 of the Gold (Control) Act, 1968 (45 of 1968), I, M. G. Abrol, the Administrator, hereby authorise every adjudicating officer under section 78, and every appellate authority under section 80, of the said Act, to exercise the powers exercisable by me under sub-section (6) of section 8 and clause (iii) of the first proviso to section 31 of the said Act, in so far they relate to authorising a person, from whom primary gold or article was seized under section 66 of the said Act, to take back such primary gold or article into his possession, custody or control, consequent on its release with or without fine in lieu of confiscation in pursuance of an order under the said section 78 of section 80, as the case may be:

Provided that where the release relates to primary gold—

- (a) such primary gold shall be sold to a licensed dealer or got converted into ornaments;
- (b) the person concerned shall, within one month of taking back into his possession, custody or control such primary gold, furnish to the concerned Gold Control Officer, a certificate from the licensed dealer that such primary gold has been sold to him and where such primary gold has been converted into ornaments, a certificate from the licensed dealer or the certified goldsmith, as the case may be, that such primary gold has been so converted.

[No. 11/76-F.131/41/75-GC.II]

M. G. ABROL,
Gold Control Administrator.

राजस्व और बैंकिंग विभाग

आदेश

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1976

फा० फा० 510 (अ) :—मैं, म० गो० अब्दोल, प्रशासक, स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (1968 का 45) की धारा 4 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 78 के अधीन प्रत्येक अधिनिर्णायक अधिकारी को और धारा 80 के अधीन प्रत्येक अपील प्राधिकारी को, उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (6) और धारा 31 के प्रथम परन्तुक के खंड (iii) के अधीन मेरे द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियों का, जहां तक उनका संबंध ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे उक्त अधिनियम की धारा 66 के अधीन प्राथमिक स्वर्ण या वस्तु को अभिगृहीत किया गया हो, यथास्थिति, उक्त धारा 78 या धारा 80 के अधीन किसी आदेश के अनुसार में अधिहरण के बदले जुर्माना सहित या रहित उसकी निर्मुक्ति के परिणामस्वरूप ऐसे प्राथमिक स्वर्ण या वस्तु को अपने कब्जा, अभिरक्षा या नियंत्रण में वापस लेने के लिए प्राधिकृत करने से है, प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं ;

परन्तु जहां निर्मुक्ति का संबंध प्राथमिक स्वर्ण से है, वहां—

- (क) ऐसा प्राथमिक स्वर्ण किसी अनुज्ञप्त व्यवहारी को विक्रय किया जाएगा या आभूषणों में संपरिवर्तित करवाया जाएगा;
- (ख) संबद्ध व्यक्ति, ऐसे प्राथमिक स्वर्ण को अपने कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में वापस लेने के एक मास के भीतर, अनुज्ञप्त व्यवहारी से इस आशय का प्रमाणपत्र कि ऐसा प्राथमिक स्वर्ण उसे बेच दिया गया है और जहां ऐसे प्राथमिक स्वर्ण को आभूषणों में संपरिवर्तित कर दिया गया है, वहां यथास्थिति, अनुज्ञप्त व्यवहारी या प्रमाणित स्वर्णकार से इस आशय का प्रमाणपत्र कि ऐसा प्राथमिक स्वर्ण इस प्रकार संपरिवर्तित कर दिया गया है, सम्बद्ध स्वर्ण नियंत्रण अधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।

[सं० 11/76 फा० 131/41/75-जी० सी० II]

म० गो० अब्दोल, स्वर्ण नियंत्रण प्रशासक ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मंत्रालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976